



2026:AHC:15991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41843 / 2025

ईशु

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: काशिफ गिलानी,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री काशिफ गिलानी तथा राज्य की ओर से श्री मनोज कुमार सिंह, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदक ईशु की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 522 सन् 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध दर्शाए गए 12 आपराधिक मामलों का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता अथवा आयोजक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में किसी प्रकार की सहायता या उकसावा नहीं दिया है। यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक दिनांक 03.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता है कि यदि उसे अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। साथ ही यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** तथा **अभिमन्यु वगैरह बनाम केरल राज्य, 2025 INSC 1136** में रिपोर्ट किया गया पर भी निर्भरता व्यक्त की, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकरण इंगित नहीं कर सके।

उपर्युक्त तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक ईशु को उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी प्रकार का दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) वाद के उद्घाटन के समय, (ख) आरोप निर्धारण के समय, (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब गवाह साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण (का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे वाद के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा तथा इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)